न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 97/2011

आनन्दी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-

1. मुकुट बिहारी गोस्वामी पुत्र स्व0 आनन्दी लाल ।
2. हेमन्त गोस्वामी पुत्र स्व0 आनन्दी लाल ।
3. टीटू गोस्वामी पुत्र स्व0 आनन्दी लाल जाति गोस्वामी (गुंसाई) निवासीगण पाली तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गणपत (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. पूर्णानन्द पुत्र स्व0 गणपत गिरी गोस्वामी ।
   1/2. दीनदयाल पुत्र स्व0 गणपत गिरी गोस्वामी ।
   1/3. बनवारी पुत्र स्व0 गणपत गिरी गोस्वामी ।
   1/4. गिर्राज पुत्र स्व0 गणपत गिरी गोस्वामी ।
   1/5. परमानन्द पुत्र स्व0 गणपत गिरी गोस्वामी ।
   1/6. गोपाली बाई बेवा स्व0 गणपत गिरी गोस्वामी निवासीगण ग्राम पाली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. लटूर पुत्र पन्ना गिरी गुंसाई निवासी ग्राम पाली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दावाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक आनन्दी लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम डोबरली तहसील दीगोद की कुल 02 किता की 2.06 हैक्टर, ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा की कुल 07 किता की 7.54 हैक्टर ग्राम झौंपडियॉ तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 369 रकबा 5.02 हैक्टर, ग्राम चौपड खेडी तहसील दीगोद जिला कोटा की 02 किता की 5.20 हैक्टर एवं ग्राम पाली तहसील दीगोद जिला कोटा की कुल 08 किता की

7.43 हैक्टर भूमि तथा ग्राम जियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा की कुल 03 किता की 3.42 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमियों पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि में वादी 1/4 हिस्से को व प्रतिवादी क्रम 1 1/4 हिस्से को प्रतिवादी क्रम 2 1/2 हिस्से को काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण को वादी के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व मंदिर की सेवा पूजा में व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में से वादी के 1/4 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और न वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत पैदा करे तथा पुजारी कार्य में व्यवधान पैदा नहीं करे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति महादेव जी की खातेदारी की है तथा वादी इन भूमियों का खातेदार कृषक नहीं है जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल मात्र खातेदार कृषक ही स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है, जिससे प्रस्तुत वाद पत्र के अवलोकन मात्र से ही वाद मेन्टेनेबल नहीं है । वादी वादग्रस्त मंदिर का स्वयं को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के साथ पुजारी घोषित करवाना चाहता है जबकि किसी भी मंदिर के पुजारी के लिए केवम मात्र दीवानी न्यायालय या देवस्थापन विभाग ही सक्षम है । अतः वाद वादी मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में जवाबदावा प्रस्तुत हो गया था और जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद तनकी कायम कर साक्ष्य व सबूत दोनों पक्षों की लिये जाने के बाद तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें मूल आधार जो लिया गया है वह दावे के टाईटल के विपरीत था क्योंकि दावे में वादी अपने आपको पुजारी मंदिर श्री महादेव जी विराजमान मठ पाली की हैसियत से वाद लेकर आया है न कि स्वयं खातेदार बनकर । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों पर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । वादी ने अपने वादपत्र की सम्पूर्ण मदों में मंदिर को ही खातेदार अंकित कर रखा है और टाईटल में भी वादी ने मंदिर श्री महादेव विराजमान पाली मठ का पुजारी की हैसियत से अपने आपको अंकित किया है । उक्त वाद मंदिर के हितों की रक्षार्थ चलने योग्य था क्योंकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को भी पुजारी अंकित किया गया है जिन्होंने अपने जवाबदावे में भी इस तथ्य को खण्डित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री

पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील साहब को नियुक्त कर रखा था और उन्होंने अपीलान्ट को प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने से मना कर दिया था तथा आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनकी ओर से कोई सूचना नहीं दी गई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.03.2011 को उनके वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई । जानकारी होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है और जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद तनकी कायम कर साक्ष्य व सबूत दोनों पक्षों की लिये जाने के बाद तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था । दावे में वादी ने अपने आपको पुजारी मंदिर श्री महादेव जी विराजमान मठ पाली की हैसियत से पेश किया है । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है और नाबालिग का वाद जरिये संरक्षक ही लाया जा सकता है । इस कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज किया है । उक्त वाद घोषणा का नही होकर स्थायी निषेधाज्ञा का है । वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति की है । शजरा इस प्रकार है कि मूल पुरूष शंकर गिरी हैं उनके दो पुत्र हुए पन्ना गिरी एवं धन्ना गिरी अपीलान्ट वादी धन्ना गिरी का पुत्र है इस नाते आराजी पर व्यवस्था एवं सेवा पूजा हेतु वादी 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी क्रम 1 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी क्रम 2 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण वादी के 1/4 हिस्से में व्यवधान पैदा कर रहे हैं इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जो मेन्टेनेबल था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 20018 (II) पेज 1329, डीएनजे 2012 (राज0) पेज 209, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 242 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर की है वादी अपीलान्ट ने मंदिर की ओर से नहीं वरन स्वयं की ओर से दावा पेश किया है और दावा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है और स्वयं का 1/4 हिस्सा बताया है जबकि 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद खातेदार के द्वारा ही पेश किया जा सकता है । यदि पुजारी के अधिकारों की बाबत् कोई विवाद हो तो देवस्थान विभाग अथवा सिविल न्यायालय जा सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधि सम्मत

रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2051–2054 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 180 की कुल 07 किता की 7.54 हैक्टर आराजी मंदिर श्री महादेव जी विराजमान खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 48 में 02 किता की 2.06 हैक्टर मंदिर श्री महादेव जी विराजमान खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 86 में कुल 03 किता की 3.42 हैक्टर भूमि गोविन्दगिरी, गणपत गिरी बेटा शंकर गिरी जाति गुंसाई के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी सवंत 2051 से 2054 के अनुसार नया खाता संख्या 108 में खसरा नम्बर 369 की 5.02 हैक्टर भूमि महादेव जी मठ पाली के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 के अनुसार नया खाता संख्या 102 की कुल 02 किता की 5.20 हैक्टर भूमि मंदिर श्री महादेव जी महाराज विराजमान के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 65 की कुल 08 किता की 7.43 हैक्टर भूमि मठ महादेव जी विराजमान खाते दर्ज है ।

14. वादी के द्वारा अपने दावे में यह कथन किया है कि ये भूमियॉ मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी विराजमान की भूमियॉ है और वो इनकी सेवा पूजा करते हैं । उनके द्वारा जो दावा पेश किया है वह मंदिर की ओर से नहीं वरन् आनन्दीलाल वल्द धन्ना गिरी पुजारी मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी विराजमान के नाम से पेश किया गया है । दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है । जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद खातेदार के द्वारा ही पेश किया जा सकता है । दावे में उनके द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वो बहैसियत पुजारी मठ की देखभाल करते हैं और वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से के अनुसार काबिज है । प्रतिवादीगण उनकें कब्जे काश्त और सेवा पूजा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं । अतः उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

15. वादग्रस्त आराजी में से खाता संख्या 86 की आराजी को छोडकर शेष आराजी मंदिर मूर्ति के खाते की है । वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मंदिर मूर्ति की ओर से नहीं वरन् स्वयं की ओर से पेश किया गया है । धारा 188 का दावा खातेदार कृषक द्वारा ही लाया जा सकता है अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं । इस प्रकार मंदिर मूर्ति के खाते में दर्ज आराजी के लिए वादी का धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । जहॉ तक नकल जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 के अनुसार नया खाता संख्या 86 पुराने 84 की आराजी का प्रश्न है इसमें 03 किता की आराजी गोविन्द गिरी, गणपत गिरी बेटा शंकर गिरी के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादी स्वंय को धन्ना गिरी के वारिस बताते हैं । यद्यपि जो गैर

खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इसमें वादी सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है । यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जावे कि वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार की हैसियत से उनका हित–निहित है तो भी एक सहखातेदार बिना विभाजन कराये दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा नहीं ला सकता और न ही एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखाते के विरूद्ध बिना विभाजन के संयुक्त खाते की आराजी में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । वादी के द्वारा दावे में जो अंकित किया गया उसके अनुसार यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद पुजारी के तौर पर उनके अधिकार एवं स्वत्व से सम्बन्धित है न कि हक घोषणा से सम्बन्धित है । आराजी मंदिर मूर्ति के खाते में दर्ज है । यदि पुराजी के रूप में वादी अपीलान्ट के अधिकार एवं स्वत्व से सम्बन्धित कोई विवाद है तो वह देवस्थान विभाग एवं सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं । स्थायी निषेधाज्ञा का दावा वादग्रस्त आराजी बाबत् उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेन्टेनेबल नहीं है ।

16. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2009 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा